प्रेषक,

एल.फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड़ शासन।

संख्याः-1502/XVII-2/21-01(02) 2010

सेवा में,

1. निदेशक
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़,
हल्द्वानी--नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 09 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2021

विषयः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2150/स0क0/पेंान/2021-22 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन/अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभों को पारदर्शी एवं त्वरित वितरण व्यवस्था डी0बी0टी0 प्रणाली के द्वारा विभागीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (आई0टी0सैल) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्तानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याणार्थ की जा रही आई0टी0 प्रयासों की निरंतरता से मिली उपलब्धियों के सतत् क्रियान्वयन तथा इसका निरंतर अनुश्रवण (feedback), अनुरक्षण (Software maintenance) एवं प्रशिक्षण (Training/ handholding) आदि कार्यों हेतु वर्ष 2014-15 से जनजाति कल्याण निदेशालय, देहरादून में आई0टी0सैल की स्थापना की गयी है। समाज कल्याण विभाग की बेबसाईट http://www.socialwelfare.uk.gov.in (विभागीय पोर्टल) पर विभागीय नीतियों को एक स्थान पर संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

3- वर्ष 2011-12 से वृद्धावस्था पेंशन, वर्ष 2013-14 से विधवा एवं दिव्यांग पेंशन तथा वर्ष 2014-15 से किसान पेंशन योजनाओं का सफलतापूर्वक सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2015-16 से जहां सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर अनुसूचित जाति/जनजाति शादी अनुदान योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2020-21 से तीलू रौंतेली, बौना, परित्यक्ता तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को विभागीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (आई0टी0सैल) द्वारा ऑनलाईन किया गया है। वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग/किसान/तीलू रौंतेली/बौना/परित्यक्ता/शादी अनुदान/दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाओं के सम्बन्ध में आवेदन पत्र भरने से लेकर ई-भुगतान तक का सम्पूर्ण ऑनलाईन क्रियान्वयन का विवरण उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (https://www.socialwelfare.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त पेंशन/अनुदान योजनाओं से सम्बन्धित लाभार्थियों के आधार संख्या एवं स्वयं अथवा अपने निकटस्थ सम्बन्धी का मोबाईल नम्बर दिया जाना अनिवार्य होगा। **सभी पेंशन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी में निहित होगा।**

ऑनलाईन पेंशन/अनुदान योजनाओं हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया–

(क) **वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) प्रार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, (ii) प्रार्थी का कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो। यदि आवेदक बी0पी0एल0 के अन्तर्गत आता है तो पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या अधिक आयु के होने पर भी पात्रता के अन्तर्गत होगें (iii) प्रार्थी की मासिक आय समस्त स्रोतों से रू0 4000/–से अधिक न हो (vi) प्रार्थी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया गया हो।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i) ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतों से रू0 4000/– प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र/बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति। (ii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्री द्वारा निर्गत (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी हेतु), (iii) ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति आवेदक/आवेदिका की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मन्त्री/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर, (iv) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (v) आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ख) **दिव्यांग पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, (ii) दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, (iii) प्रार्थी/प्रार्थिनी अथवा अभिभावक की मासिक आय समस्त स्रोतों से रू0 4000/– से अधिक न हो, (iv) पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो। यदि आवेदक बी0पी0एल0 के अन्तर्गत आते हो तो पुत्र/पौत्र 20 वर्ष या अधिक आयु के होने पर भी पेंशन हेतु पात्र होगें। (v) दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, (vi) चयन प्रक्रिया वृद्धावस्था पेंशन की भांति ही की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i)ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतों से रू0 4000/– प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र/बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति (ii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्री द्वारा निर्गत (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी हेतु), (iii) ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति आवेदक/आवेदेता की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मन्त्री/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर, (iv) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (v) आधार कार्ड की छायाप्रति, (vi) सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का वैद्य प्रमाणपत्र।

(ग) **निराश्रित विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) प्रार्थिनी की आयु 18 वर्ष से कम न हो, (ii) मासिक आय रू0 4000/–से अधिक न हो अथवा आवेदिता

बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो (iii) प्रार्थिनी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया गया हो, (iv) पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i) ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतों से रू0 4000/–प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र/बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति। (ii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्रीं द्वारा निर्गत (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी हेतु), (iii) ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति आवेदक/आवेदिका की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मन्त्री/सभासद/पार्षद से) चस्पा कर, (iv) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (v) आधार कार्ड की छायाप्रति, (vi) आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाणपत्र।

(घ) <u>किसान पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–</u> उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान तथा ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहें हों तथा समाज कल्याण विभाग/सरकार द्वारा पूर्व से कोई भी पेंशन स्वीकृत न हो उन्हें उत्तराखण्ड किसान पेंशन के रूप में रू0 1000/–प्रतिमाह देय होगी। आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होगा। आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i) खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति, (ii) रू0 10/–के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती 02 हे0 अथवा 02 हे0 से कम व स्वयं द्वारा खेती करने सम्बन्धी शपथ पत्र, (iii) भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत, (iv) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (v) आधार कार्ड की छायाप्रति।

(च.) <u>दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–</u> (i) आवेदक की आयु 0–18 वर्ष के मध्य हो (ii) आवेदक बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा मासिक आय अधिकतम रू0 4000/– प्रतिमाह हो (iii) दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक हो।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्रीं द्वारा निर्गत (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी हेतु), (ii) सी0बी0एस0 बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति, (iii) आधार कार्ड की छायाप्रति, (iv) सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र, (v) आवेदक के बी0पी0एल0 कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अथवा ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतों से अधिकतम रू0 4000/– प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र।

(छ.) <u>शादी अनुदान योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–</u> (i) राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्रियों

को दिया जाएगा (i) आवेदक बी0पी0एल श्रेणी/अन्तोदय कार्ड धारक
वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 48000/–वार्षिक हो, (iii) उक्त योजन
परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही देय होगा। (iv) प्रथम आवत प्रथम
आधार पर।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले
अभिलेखः– (i) शादी अनुदान योजनान्तर्गत वर एवं वधू की जन्म तिथि का प्र
(हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की मूल प्रति/
कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति), (ii) आवेदक एवं आवेदक के परिवार वालों ने इस
पुत्री शादी योजना में एक से अधिक पुत्री की शादी के लिए इस योजना का लाभ
लिया है, का शपथ पत्र, (iii) शादी का पंजीकरण तथा पंजीकरण कार्यालय
प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र की प्रति, (iv) आवेदक का बी0पी0एल कार्ड/अन्तोदय
की स्वप्रमाणित छायाप्रति अथवा ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतों
अधिकतम रू0 48000/–वार्षिक का आय प्रमाण पत्र, (v) आवेदक/आवेदिका
जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत की छायाप्रति (vi) विधवा पेंशन प्राप्ति प्रमा
पत्र (सामान्य वर्ग की विधवाओं हेतु)। (vii) उत्तराखण्ड का मूल निवास प्रमाण प
(viii) आवेदक का आधार संख्या के साथ ही वर एवं वधू के आधार की छाया प्रति।

(ज.) **तीलू रौंतेली पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) प्रार्थी/प्रार्थिनी की
आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो (ii) योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का
प्राविधान नहीं है। (iii) प्रार्थी/प्रार्थिनी कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हुए हों। (iv)
दिव्यांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो (v) ऐसे महिला/पुरूष यदि 60 वर्ष की
आयु प्राप्त कर लेते हैं एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते हैं, तो
उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जाएगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी।
प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला/पुरूष को वृद्धावस्था पेंशन
स्वीकृति/भुगतान नहीं होती, तब तक इस योजना से पेंशन जारी रखी जाएगी। (vi)
आवेदक/आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हो। योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का
प्रतिबन्ध नहीं है,

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक
अभिलेखः–(i) परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्रीं से (आयु तथा परिवार सदस्यों
की जानकारी हेतु), (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयनित
प्रस्ताव की प्रति (iii) चिकित्साधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत के मध्य प्रदत्त
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (iv) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (v)
आधार कार्ड की छायाप्रति।

(झ.) **बौना पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) आवेदक की ऊचांई 04 फीट
अथवा 04 फीट से कम हो (ii) आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष अथवा उससे अधिक
हो (iii) योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है, (iv) **ऑनलाईन**
आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i)
परिवार रजिस्टर की नकल पंचायत मन्त्रीं से (आयु तथा परिवार सदस्यों की जानकारी
हेतु), (ii) चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त ऊंचाई (ऊचांई 04 फीट अथवा 04 फीट से
कम हो) का प्रमाण पत्र, (iii) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (iv)

आधार कार्ड की छायाप्रति, (v) स्वयं अथवा सम्बन्धी का मोबाईल नम्बर, (vi) आवेदक/आवेदिता की ऊचांई के सम्बन्ध में सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त प्रदत्त सहमति पत्र।

(ञ.) **परित्यक्ता पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रियाः–** (i) ऐसी परित्यक्त/निराश्रित महिला अथवा मानसिक रूप से विकृत पुरूष/महिला की पत्नी/पति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो अथवा पति के लापता/छोड़े जाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो (ii) मासिक आय रू0 4000/– प्रतिमाह है अथवा आवेदक बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखः– (i) आवेदक/आवेदिका के विवाहोपरान्त 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो (पति लापता/पति द्वारा परित्याग किया गया हो) का स्व–घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि प्रति, (ii) सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मानसिक रूप से विक्षिप्त होने तथा धनोपार्जन मे अक्षमता का प्रमाण पत्र की प्रति, (iii) निराश्रित अविवाहित महिला (आयु 40 से 60 वर्ष के मध्य) द्वारा स्व–घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि प्रति, (iv) आयु के सत्यापन हेतु शैक्षिक प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, (v) सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, (vi) आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ठ)– **पेंशन की दरें–**

क्र. स.	योजना का नाम	वर्तमान पेंशन देय	अन्य विवरण
1.	वृद्धावस्था पेंशन	1200/प्रतिमाह	60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 200/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 1000/– मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 79 वर्ष के अधिक आयु के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 700/– प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाती है। बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन के जिन लाभार्थियों की मासिक आय रू0 4000/– तक निर्धारित है ऐसे समस्त लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा रू0 1200/– मासिक पेंशन दी जाती है।
2.	विधवा पेंशन	1200/प्रतिमाह	40 से 79 वर्ष तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 300/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 900/– मासिक पेंशन देय है। इसी प्रकार 79 वर्ष के अधिक आयु के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/– प्रतिमाह तथा राज्य

			सरकार द्वारा रू0 700/– प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन के जिन लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा मासिक आय रू0 4000/– तक है ऐसे समस्त लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा रू0 1200/– मासिक पेंशन दी जाती है।
3.	दिव्यांग पेंशन	1200/प्रतिमाह	योजनान्तर्गत 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वह लाभार्थी जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक है ऐसे बी0पी0एल लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 300/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 900/– मासिक पेंशन देय है। इसी प्रकार 79 वर्ष के अधिक आयु के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/– प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 700/– प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वह लाभार्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक है तथा मासिक आय रू0 4000/– तक है ऐसे समस्त लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा रू0 1200/– मासिक पेंशन दी जाती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लैप्रोसी से ग्रस्त 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग पेंशनरों को पेंशनर को रू0 1400/– मासिक पेंशन देय है।
4.	किसान पेंशन	1000/प्रतिमाह	60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के ऐसे पेंशनर जिनके पास 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि हो तथा ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहें हों। ऐसे लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रू0 1000/– प्रतिमाह पेंशन देय होगी। उक्त योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
5.	दिव्यांग भरण पोषण अनुदान	;'00/प्रतिमाह	योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 0–18 वर्ष के मध्य हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक हो। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रू0 1200/– प्रतिमाह पेंशन देय होगी। आवेदक बी0पी0एल0 धारक अथवा मासिक आय रू0 4000/– तक।
6.	शादी अनुदान	50000/पुत्री	आवेदक बी0पी0एल श्रेणी/अन्तोदय कार्ड धारक हो अथवा वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 48000/– वार्षिक हो। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रू0 50,000/– अनुदान दिया जाएगा।

7.	तीलू रौंतेली	1200/प्रतिमाह	आवेदक की आयु 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रू0 1,200/– मासिक पेंशन दी जाएगी।
8.	बौना पेंशन	1200/प्रतिमाह	आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष अथवा उससे अधिक हो। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रू0 1,200/– मासिक पेंशन दी जाएगी।
9.	परित्यक्त/निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण–पोषण अनुदान	1200/प्रतिमाह	आवेदक की आयु 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो अथवा पति के लापता/छोड़े जाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो। उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा परित्यक्त महिला को रू0 1,200/– मासिक तथा विक्षप्त महिला को रू0 1,200/– मासिक पेंशन दी जाएगी। योजनान्तर्गत लाभार्थियों की मासिक आय रू0 4000/– तक अथवा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है।

4– **ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऑनलाईन पेंशन/अनुदान स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया:–**
ऑनलाईन पेंशन/अनुदान योजनाओं में आवेदकों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं में आवेदन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल https://www.ssp.uk.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाएगें। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन का पंजीकरण पोर्टल पर एक Unique आवेदन संख्या के साथ होगा। पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर System द्वारा स्वतः बनाया गया पासवर्ड (Automatic System Generated Password) तथा आवेदन संख्या आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा। आवेदक की लॉगिन आई0डी0 आवेदक की आवेदन संख्या/मोबाईल नम्बर होगा।

आवेदक द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य किए जा सकेगें–

(1) ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व में भरी जानकारी का अद्यतन (Updation)।
(2) आवश्यक अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना।
(3) अपने आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति का पता करना।
(4) अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेना।
(5) पेंशन प्राप्ति सम्बन्धी विवरण रिपोर्ट को देखना।
(6) पासवर्ड परिवर्तित करना।

(क) शादी अनुदान के अतिरिक्त अन्य पेंशन/अनुदान योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने तथा सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ही उनके आवेदन पत्र तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लॉगइन पर ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु प्रदर्शित होंगे। जब तक आवेदक द्वारा अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन पत्र अगले चरण में ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगा।

सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से

अवलोकन करने के पश्चात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित बी0डी0ओ0 जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन कर आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रेषित जाएगा।

(ख) शादी अनुदान के अतिरिक्त अन्य पेंशन/अनुदान योजनाओं में शहरी क्षेत्रों के आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र को भरकर तथा सम्बन्धित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड

करने के पश्चात ही उनके आवेदन पत्र तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) के लॉगइन पर ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु प्रदर्शित होंगे। जब तक आवेदक द्वारा अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता, तब तक आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन पत्र अगले चरण में ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं होगा।

सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी)द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी)द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित एस0डी0एम0 को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित एस0डी0एम0 के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात एस0डी0एम0 द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित एस0डी0एम0 द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित एस0डी0एम0 द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित एस0डी0एम0 को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित एस0डी0एम0 द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन कर आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा

आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा।

(ग) शादी अनुदान योजना में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र को ऑनलाईन भरकर, सम्बन्धित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ही उनके आवेदन पत्र तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) के लॉगइन पर ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु प्रदर्शित होंगे। जब तक आवेदक द्वारा अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता, तब तक आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन पत्र अगले चरण में ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं होगा।

सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी)द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी) को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित ए0डी0ओ0 (क्षेत्रीय विकास अधिकारी)द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन कर आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त समस्त ऑनलाईन योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्र/अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित सत्यापन अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति तिथि से 10 दिवसों के भीतर करना अनिवार्य है।

5– **पेंशनरों का भौतिक सत्यापन एवं सामाजिक अकेंक्षण हेतु दिशा–निर्देशः–**

(i) भारत सरकार के निर्देशानुसार एन0एस0ए0पी0 के पेंशनरों का छमाही सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया जाना आवश्यक है। (ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना के साथ–साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का भी सामाजिक अकेंक्षण (Social Audit) कराना सुनिश्चित करेंगे। (iii) पेंशनरों का प्रत्येक दो वर्ष में Third Party Verification कराया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के Verification को प्रति वर्ष भी कराया जा सकता है। Third Party Verification में व्यय की जाने वाली धनराशि को एन0एस0ए0पी0 मद में प्राप्त 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद के द्वारा व्यय किया जाएगा। (iv) प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित लेखपाल/पटवारी द्वारा पेंशनर का जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा, जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संकलित किया जाएगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर मृतक पेंशनरों को सॉफ्टवेयर से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसक अतिरिक्त अपात्र/मृतक पेंशनरों की धनराशि को तत्काल वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में पेंशनरों के आधार कार्ड एवं जीवन प्रमाण पत्र का विवरण/डाटा कोषागार से लिंक किया जाना प्रस्तावित है। अतः सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा समस्त पेंशनरों के आधार संख्या को संकलित करने के साथ–साथ पेंशनर का प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रविष्टि https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) पर की जाएगी। (v) https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) पर में जो आधार लिए गए/लिए जा रहे हैं उनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है उक्त व्यवस्था को पोर्टल पर लागू करने के पश्चात् आवेदनकर्ताओं के आधार/वर्चुअल आई0डी0 आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्टि के उपरान्त UIDAI के सर्वर से जांचोपरान्त सही पाए जाने पर ही आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि पेंशन/अनुदान योजनाओं में हो पाएगी अर्थात् आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी जानकारी के UIDAI के माध्यम से प्रमाणीकरण के पश्चात् ही आवेदक द्वारा योजना में आवेदन किया जा सकेगा। (vi) आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित राजस्व विभाग द्वारा e-district portal के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र की Real time में e-district portal की सर्विस के माध्यम से जांचोपरान्त ही आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि पेंशन/अनुदान योजनाओं में हो पाएगी । (vii) पोर्टल पर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, डी0पी0ओ0, आई0टी0सैल, एडमिन, ए0डी0ओ0, ऑपरेटर आदि यूजर हेतु राज्य सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (https://www.ssp.uk.gov.in) पर **Two Factor Authentication** की प्रक्रिया को लागू करते हुए **OTP Based Login** बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जिसके उपरान्त प्रत्येक यूजर के मोबाइल नम्बर पर पोर्टल पर लॉगईन करने पर एक ओ0टी0पी0 सन्देश प्राप्त होगा, प्राप्त ओ0टी0पी0 की प्रविष्टि के उपरान्त ही पोर्टल पर लॉगईन किया जा सकेगा।

6– **पेंशन वितरण की प्रक्रियाः–**

(क) **पेंशन प्रोसेसिंग (संसाधन)**– सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों को नियमित अद्यतन रखने के साथ ही मृतक लाभार्थी/अपात्र लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर तथा लाभार्थियों के खातों को प्रत्येक दिन अपडेट कराया जाएगा। सभी प्राप्त लाभार्थी डाटा को

अद्यतन करते हुए पेंशन योजनाओं को त्रैमासिक आधार पर राउंडवार (Round) प्रक्रिया (Process) की जाएगी। सॉफ्टवेयर द्वारा पेंशन संशोधन करने के पश्चात् संसाधित लाभार्थियों के डाटा में कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती किन्तु नए लाभार्थियों की डाटा एंट्री तथा स्वीकृति सदैव की जा सकती है। अतः यदि संशोधित करने के बाद भी ऐसे लाभार्थियों की डाटा एंट्री की जाती है, जिनको वर्तमान तिमाही में ही पेंशन भुगतान करना है तो ऐसे लाभर्थियों को उसी तिमाही में नया राउंड शुरू कर संशोधित किया जा सकता है। इसका अनुश्रवण सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

एक व्यक्ति को विभाग द्वारा एक ही पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है, अतः पेंशन संसाधित (Process) करने के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाएगा, कि कोई भी पेंशनर जनपद में अथवा अन्य जनपदों में एक से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ तो नहीं ले रहा है। इस हेतु रिपोर्ट्स (डाटा में त्रुटि रिपोर्ट, विचाराधीन रिकार्डस रिपोर्ट आदि) https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) में समाज कल्याण अधिकारी लॉग इन पर उपलब्ध हैं।

प्राप्त आवेदनों को संसाधित (Process) करने के उपरान्त सी.बी.एस. खाता धारक लाभार्थियों का बैंक–वार कोषागार पोर्टल (Core Treasury System) पर ऑनलाईन बिल बनाने हेतु https://www.ssp.uk.gov.in(उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल बनाने के उपरान्त कोषागार द्वारा सीधे लाभार्थियों के सी0बी0एस0 खातों में पेंशन धनराशि का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक लाभार्थी के सी0बी0एस0 बैंक खाते में किए गए भुगतान की ट्रांसेक्शन आईडी रिवर्स वेब सर्विस के द्वारा https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) पर उपलब्ध करवायी जाएगी, जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा संबंधित लाभार्थी के सम्मुख संरक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑफलाईन (डाकघर, मनी ऑर्डर अथवा नॉन सी0बी0एस0 खातों) में प्रेषित की गई पेंशन धनराशि की पावत जानकारी (मनी आर्डर संख्या अथवा चेक नम्बर) को भी सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लाभार्थी के सम्मुख संरक्षित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में नैफ्ट पद्धति से पेंशन की धनराशि का विवरण केवल उच्चाधिकारियों की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

(ख) पेंशन पब्लिशिंग (प्रकाशन)– पेंशन की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों को प्रेषित करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन द्वारा ट्रांजेक्शन आई0डी0, मनी आर्डर संख्या अथवा चेक नम्बर सभी संसाधित लाभार्थियों के सम्मुख अंकित करते हुए लाभार्थियों को सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित (Process) किया जाएगा। पेंशन प्रकाशित किये जाने पर सभी लाभार्थी, जिनका मोबाईल नम्बर https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) में दर्ज है, को पेंशन अदायिगी का एस0एम0एस0 (SMS) स्वतः ही प्रेषित हो जाएगा। अतः समस्त पेंशनरों के स्वयं अथवा उनके निकट सम्बन्धी का मोबाईल नम्बर सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाना अनिवार्य है। पेंशन प्रकाशित करने के उपरान्त सभी लाभार्थियों का डाटा https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर, जनकल्याणकारी सेवाओं में तथा विभागीय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स में उपलब्ध हो जाएगा।

(ग) स्वतः (Automatic) आय वृद्धि– पेंशन योजनाओं में आयु की शर्तों तथा आयु के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य वित्त वितरण को देखते हुए सॉफ्टवेयर https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर लाभार्थी की आयु में एक वर्ष की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने पर स्वतः ही सभी लाभार्थियों की आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। यह प्रावधान सॉफ्टवेयर में पुराने पेंशनरों की जन्म तिथि की अनुपलब्धता के कारण रखा गया था। भविष्य में जिन लाभार्थियों की जन्मतिथि डाटाबेस में उपलब्ध है, उनकी आयु में वृद्धि उनके जन्मतिथि के माह की पहली तारीख से होगी।

(घ) आवेदन अथवा पेंशन की वर्तमान स्थिति/जनकल्याणकारी सेवायें–

(i) एस0एम0एस0 द्वारा पेंशन की वर्तमान स्थिति– यदि लाभार्थी के मोबाईल नम्बर की सही जानकारी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो, तो एस0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी को पेंशन संसाधन की अद्यावधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आवेदकों/लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर पर पेंशन/अनुदान योजनाओं में आवेदन करने से लेकर भुगतान होने तक समय–2 पर आवेदकों/लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सर्वर द्वारा स्वतः एस0एम0एस0 भेजे जाएगें, उक्त एस0एम0एस0 का भुगतान निदेशालय स्तर से किया जाएगा

(ii) एन्ड्रॉएड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा पेंशन की वर्तमान स्थिति – https://www.ssp.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल) की जनकल्याणकारी सेवाओं में उपलब्ध एंड्रांइड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर तथा इंस्टाल करके एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी पेंशन के लिए आवेदन अथवा पेंशन संसाधन की वर्तमान जानकारी का विवरण देखा जा सकता है। इस हेतु लाभार्थी को मोबाइल एप्लीकेशन में सम्बन्धित पेंशन का चुनाव कर अपना बैंक खाता संख्या प्रेषित करना होगा, यदि बैंक खाता संख्या पेंशनर के बैंक खाता संख्या से मेल खाता है, तो लाभार्थी को वर्तमान संवितरण धनराशि की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी समस्त पेंशन/अनुदान योजनों को UMANG App पर आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीघ्र–अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

(iii) उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल https://www.ssp.uk.gov.in पर नागरिकोन्मुख सेवायें– नागरिक उन्मुख सेवाओं में उपलब्ध उपयोगिताओं/रिपोर्ट्स को काम में लाने पर पेंशन की वर्तमान स्थिति, किसी भी लाभार्थी को अभी तक दी गई समस्त पेंशन का सम्पूर्ण विवरण (लाभार्थी पेंशन पासबुक), विभिन्न पेंशन योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान राशि, पेंशन योजनाओं हेतु आवदेन पत्र, किसी जनपद की किसी तहसील/विकासखण्ड/ग्राम पंचायत/नगर पालिका/वार्ड/ग्राम स्तर के समस्त लाभार्थियों का बैंक वार, क्षेत्रवार विवरण एवं अन्य भी कई जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती है।

(च) G to G डेटा शेयरिंग– उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (https://www.ssp.uk.gov.in) पर उपलब्ध केन्द्र पोषित लाभार्थियों का विवरण एन.एस.ए.पी.

(N.S.A.P.) पोर्टल (https://www.nsap.nic.in) पर वेब सर्विस के माध्यम से भेजा जाता है। इसके साथ ही ई–ताल पोर्टल (https://www.etaal.gov.in) पर भी सॉफ्टवेयर की समस्त ट्रांसेक्शनस का विवरण वेब सर्विस के माध्यम से भेजा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल को ई–कोष पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल से सृजित हुए पेंशन वितरण आदेशों को ई–कोष पोर्टल पर ट्रेजरी बिलों के माध्यम से बैंक खातों में सीधे पेंशन भुगतान किया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के माध्यम से ही समाज कल्याण निदेशालय को ऑनलाईन "मासिक पेंशन प्रगति रिपोर्ट" प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

"डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यूजर–रोल से पोर्टल पर केवल डाटा प्रविष्टि ही हो सकेगी। आवेदन की पुष्टि, डाटा की सत्यता की जांच एवं डाटा संशोधन/डाटा अद्यतन का कार्य जिला समाज कल्याण कार्यालय में सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा "पटल सहायक" यूजर–रोल से किया जाएगा। पटल सहायक द्वारा जांचे गए आवदेनों को सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी सत्यापित करेंगे तथा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित लाभार्थियों को ही पेंशन वितरण हेतु संसाधित (Process) किया जा सकेगा। अपूर्ण/अपात्र पाये जाने पर आवेदन पत्रों को जांचोपरान्त सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा अपने लॉग इन से अद्यतन किया जायेगा तथा अद्यतन के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा।

7. ई–मेल नीति (Policy Of Email):– आई.टी.सैल, जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई–मेल से पत्राचार करने हेतु निम्नांकित सरकारी ई–मेल आई.डी. जो एन.आई.सी. द्वारा तैयार की गई है, प्रयोग में लाये जायेंगें।

पेंशन योजनाओं के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण सम्बन्धी तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह व्यवस्था एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से समस्त जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। प्रत्येक जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा जनजाति कल्याण निदेशालय (भगत सिंह कॉलोनी) में स्थापित समाज कल्याण के आई.टी.सैल द्वारा भी खण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण तथा निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा स्वयं अथवा आई.टी.सैल के माध्यम से उक्त पेंशन योजनाओं की स्थापित व्यवस्था की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी तथा अपने सुझाव शासन को प्रेषित किये जायेंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि शासनादेश में वर्णित किसी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

8. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत किये गये शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

07/12/21

(एल.फैनई)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः— /XVII-2/21-1(02)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव मा॰मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा॰मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
9. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई.टी.सैल, देहरादून।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी.आई.ओ., एन.आई.सी) उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
15. समस्त जिला समाज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
16. समस्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स॰क॰)
17. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(झरना कमठान)
अपर सचिव।